# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,कठूमर जिला अलवर

क्रमांक : आर.ए./2025/ 113. दिनांकः 26.3.25

तहसीलदार
कठूमर (अलवर)

**विषयः— प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136, के निर्णय की पालना कराने बाबत्।**

**बउनवान**

1. बिरजू पुत्र रामसहाय जाति बैरवा निवासी उदयपुरा तहसील कठूमर
2. दुर्गी देवी पुत्री रामसहाय जाति बैरवा निवासी उदयपुर तहसील कठूमर
3. गुलाब देवी पुत्री रामसहाय जाति बैरवा निवासी उदयपुरा तहसील कठूमर जिला अलवर।

—— प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कठूमर जिला अलवर ।

——अप्रार्थी

## प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम धारा– 1956

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 43, 98, वाके ग्राम उदयपुरा तहसील कठूमर में प्रार्थीगण का नाम बृजलाल के स्थान पर बिरजू व किस्तूरी के स्थान पर दुर्गी देवी व गुलाबो के स्थान पर गुलाब देवी दर्ज कर हाल राजस्व रेकॉर्ड में दुरूस्त कर दर्ज करने के आदेश तहसीलदार कठूमर को दिये जाते है। तहसीलदार कठूमर को आदेश दिया जाता है कि वो उक्तानुसार हाल जमाबन्दी में संशोधित इन्द्राज कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें ।

सलंग्नः– निर्णय की प्रति

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर ( अलवर )

**पीठासीन अधिकारी:– श्री श्याम सुन्दर चेतीवाल (आर ए एस)**

राजस्व वाद संख्या:– 3 / 32 / 2024 दायर दिनांक:– 11 / 11 / 2024

जीसीएमएस नं0:– 2024 / 540 निर्णय दिनांक:– 07 / 02 / 2025

बउनवान

1. बिरजू पुत्र रामसहाय जाति बैरवा निवासी उदयपुरा तहसील कठूमर
2. दुर्गी देवी पुत्री रामसहाय जाति बैरवा निवासी उदयपुर तहसील कठूमर
3. गुलाब देवी पुत्री रामसहाय जाति बैरवा निवासी उदयपुरा तहसील कठूमर

जिला अलवर।

— प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कठूमर जिला अलवर ।

——अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम धारा– 1956

उपस्थिति:–1.श्री धनश्याम शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी

2.पैरोकार सरकार तहसीलदार कठूमर अप्रार्थी

## –:आदेश:–

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवन्यु एक्ट के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आ0 ख0 न0 43, 98, वाके ग्राम उदयपुरा तहसील कठूमर में स्थित है। उक्त आराजी प्रार्थीया की कब्जे काश्त खातेदारी की दर्ज रिकॉर्ड आराजी है। उक्त आराजी के राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीया का नाम गुलाबदेवी का नाम नामान्तकरण में नाम सही दर्ज किया है लेकिन

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज0

जमाबन्दी में अमल करते समय गुलाबदेवी के स्थान पर गुलाबो दर्ज कर दिया है जो कि गलत है एवं इन्तकाल संख्या 341 वाके ग्राम उदयपुरा में रामसहाय की विरासत खोलते समय बिरजू के स्थान पर बृजलाल एवं दुर्गी देवी के स्थान पर किस्तूरी दर्ज कर दिया है उनका विरासत इन्तकाल दर्ज करते समय राजस्व कर्मचारियान ने प्रार्थीया के सही नाम की जानकारी किये बिना ही बिना सुने बिना बुलाये बिना नोटिस दिये खिलाफ कानून व खिलाफ मौका विधि विरूद्व तरीके से उदयपुरा में रामसहाय की विरासत खोलते समय बिरजू के स्थान पर बृजलाल एवं दुर्गी देवी के स्थान पर किस्तूरी दर्ज कर दिया है जबकि प्रार्थीगण का सही नाम बृजलाल के स्थान पर बिरजू व किस्तूरी के स्थान पर दुर्गी देवी दर्ज होना चाहिये लेकिन राजस्व कर्मचारियान ने उक्त आराजी पर प्रार्थीगण का नाम गलत दर्ज कर रखा है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि आराजी खसरा नम्बर 43, 98 वाके ग्राम उदयपुरा तहसील कठूमर पर प्रार्थीगण का नाम बृजलाल के स्थान पर बिरजू व किस्तूरी के स्थान पर दुर्गी देवी व गुलाबो के स्थान पर गुलाब देवी दर्ज कर हाल राजस्व रेकॉर्ड में दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी पैरोकार सरकार तहसीलदार कठूमर ने न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर जवाब पेश नहीं करना चाहा गया। प्रार्थीया द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जामबन्दी हाल सं0 2075 से 2078 वाके ग्राम उदयपुरा व नकल छायाप्रति पीपीओ कागज एवं नकल सत्यप्रतिलिपी नामान्तकरण संख्या 883 एवं नकल नामान्तकरण संख्या 341 वाके ग्राम उदयपुरा एवं छायाप्रति आधार कार्ड राशन कार्ड बैंक एवं सरपंच ग्राम पंचायत खैडाकल्याणपुर के लैटर पेड पर

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

अनापत्ति बहन प्यारीदेवी, फुलवती, भाई किशोरी के द्वारा शपथ पत्र पेश कर नाम शुद्व करने की सहमती दी गई आदि दस्तावेज पेश किये गये जो जो शामिल मिसल किये गये।

हमने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रेकार्ड पत्रादि का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपने प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थीगण का नाम बृजलाल के स्थान पर बिरजू व किस्तूरी के स्थान पर दुर्गी देवी व गुलाबो के स्थान पर गुलाब देवी दर्ज कर हाल राजस्व रेकॉर्ड में दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया गया। जिसकी ताईद पत्रावली पर उपलब्ध पहचान के समस्त दस्तावेजात से होती है।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड पत्रादि का अवलोकन किया व विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी व विद्वान पैरोकार सरकार की बहस पर मनन करने पर यह पाया कि प्रार्थीगण का नाम बृजलाल के स्थान पर बिरजू व किस्तूरी के स्थान पर दुर्गी देवी व गुलाबो के स्थान पर गुलाब देवी दर्ज कर हाल राजस्व रेकॉर्ड में दुरूस्ती से राजहित प्रभावित नहीं होता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

## –:आदेश:–

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 43, 98,

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

वाके ग्राम उदयपुरा तहसील कठूमर में प्रार्थीगण का नाम बृजलाल के स्थान पर बिरजू व किस्तूरी के स्थान पर दुर्गी देवी व गुलाबो के स्थान पर गुलाब देवी दर्ज कर हाल राजस्व रेकॉर्ड में दुरूस्त कर दर्ज करने के आदेश तहसीलदार कठूमर को दिये जाते है। तहसीलदार कठूमर को आदेश दिया जाता है कि वो उक्तानुसार हाल जमाबन्दी में संशोधित इन्द्राज करे। आदेश की प्रति तहसीलदार कठूमर को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 07.02.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

श्याम सुन्दर चेतीवाल (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज |
| --- | --- |
| 10/1/25 | वकील प्रार्थी / [illegible] उपस्थित / <br> शामिल [illegible] <br> की पालना [illegible] के वास्ते...जवाब...[illegible] <br> दिनांक...17/1/25...को पेश हो। <br> उपखण्ड अधिकारी <br> कठूमर (अलवर) |
| 17/1/25 | वकील प्रार्थी / सरकार पैरोकार उपस्थित। पैरोकार जवाब पेश नहीं करना चाहते हैं इनका जवाब बंद किया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस सुनने हेतु दिनांक 7/2/25 को पेश हो। <br> SDO |
| 7/2/25 | वकील प्रार्थी / सरकार पैरोकार उपस्थित। पत्रावली पर बहस सुनी गई। प्रार्थना-पत्र 0136 LHA साबित होने के बाद स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शा० मि० किया गया। पत्रावली [illegible] [illegible] के बाद [illegible] <br> SDO <br> उपखण्ड अधिकारी <br> (अलवर) राज० |